



कार्यालय पुलिस उपायुक्त, काशी जौन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी।
प्रेस-नोट

दिनांक- 15.01.2026

विषय:- थाना भेलूपुर पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त चोरी के लैपटाप को बेचकर प्राप्त धनराशि 12500/- रुपये के साथ गिरफ्तार।

श्रीमान पुलिस आयुक्त वाराणसी महोदय द्वारा अपराधों की रोकथाम के मद्देनजर चोरी/लूट की घटनाओं के सफल अनावरण एवं अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान पुलिस उपायुक्त काशी जौन के निर्देशन में, अपर पुलिस उपायुक्त काशी जौन के पर्यवेक्षण में एवं श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त भेलूपुर व प्रभारी निरीक्षक थाना भेलूपुर के कुशल नेतृत्व में थाना भेलूपुर पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0-036/2026 धारा 303(2) बीएनएस से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त शुभम कुमार पुत्र संजय कुमार निवासी प्लाट नं0 17/4 इन्द्रा नगर चितर्झुपुर वाराणसी उम्र 30 वर्ष के पास चोरी के लैपटाप को बेचकर प्राप्त धनराशि 12500/- रुपये बरामद कर दिनांक 15.01.2026 को चेतमणि चौराहे से कूड़ाखाना तिराहे के पास से नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का विवरण:- थाना भेलूपुर पर मु0अ0सं0- 0036/2026 धारा 303(2) बीएनएस बाबत दिनांक 09.01.2026 को एक लड़के के लैपटॉप को बिना किसी जानकारी के दुकानदार से लेकर भाग जाने के सम्बन्ध में पंजीकृत कराया गया प्राप्त प्रार्थना के आधार पर थाना भेलूपुर पुलिस द्वारा दिनांक- 15/01/2026 को उक्त मुकदमें से संबंधित अभियुक्त शुभम कुमार पुत्र संजय कुमार निवासी प्लाट नं0 17/4 इन्द्रा नगर चितर्झुपुर वाराणसी उम्र 30 वर्ष को चेतमणि चौराहे से कूड़ाखाना तिराहे के पास से चोरी के लैपटाप को बेचकर प्राप्त धनराशि 12500/- रुपये के साथ गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण- शुभम कुमार पुत्र संजय कुमार निवासी प्लाट नं0 17/4 इन्द्रा नगर चितर्झुपुर वाराणसी उम्र 30 वर्ष।

गिरफ्तारी का दिनांक व स्थान- दिनांक – 15.01.2026 को, स्थान- चेतमणि चौराहे से कूड़ाखाना तिराहे के पास से।

बरामदगी का विवरण- 12500/- रुपये नगद।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- प्रभारी निरीक्षक श्री सुधीर कुमार त्रिपाठी थाना भेलूपुर कमिं0 वाराणसी
- उ0नि0 विकास मिश्रा थाना भेलूपुर कमिं0 वाराणसी।
- हे0का0 सुनील चौधरी थाना भेलूपुर कमिं0 वाराणसी।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त काशी जौन
कमिश्नरेट वाराणसी